Action Taken Report M.A No. 68/2023 In Original Application No. 386 of 2022 (Ajay Tiwari Vs State of UP & Ors).

In the aforesaid matter, grievance made by Sh. Ajay Tiwari, B-Sarita Dham Nagla Akhye Road (Bodla-Bichpuri road), Thana- Shahganj, Agra that infront of M/s Om Shoe Factory more than one dozen colonies are situated which are approved by Agra Development Authority, these colonies are residential and people are living in the colonies. There are more than 50 illegal marble units being operated which used to makes fancy marble items. During cutting grinding of marble stone too much pollution is spreading due to which children are getting ill and the residents are very upset, people are being forced to migrate due to severe pollution.

In compliance of the Hon'ble National Green Tribunal order dated 06.07.2022 joint report has been filed on judicial-ngt@gov.in. on dt.07.12.2022 through E-mail. Hon'ble National Green Tribunal heard the matter on dt.28.08.2023 and was pleased to pass the directions. The relevant part of the order is as below

"6. Notices be issued to Agra Development Authority, UPPCB and District Magistrate, Agra requiring them to file Status Report within two months, at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF, along with the list of the concerned units involved in alleged industrial activities of making fancy items from Marble so that opportunity of being heard may also be granted to the concerned units by this Tribunal, if so considered necessary before passing further order in this regard.

M.A No. 68/2023 Ajay Tiwari Vs. State of U.P & Ors. In O.A No. 386/2022

7. List for further consideration on 03.11.2023.

In the compliance of the above directions joint inspection of the said area was done on dt. 13.10.2023 by the officers of Agra Development Authority, Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Limited (DVVNL) and U.P Pollution Control Board. During the inspection 07 units are not being operated and found permanently closed and electricity disconnection of 04 units was done by DVVNL. The name of the units are as below:-

1. M/s R.S Design, Gunjan Vihar, Bodla-Bichpuri Road, Agra
2. M/s The Ferry International, Neelam Enclave, Nagla Akhey, Bodla-Bichpuri Road, Agra
3. M/s Vikas Stone, Neelam Enclave, Nagla Akhey, Bodla-Bichpuri Road, Agra
4. M/s Krishna Kumar Beghal Stone Unit, Nagla Akhey, Bodla-Bichpuri Road, Agra

5. M/s Rajeev Sharma Stone Unit (Earlier operated by Vipnesh Tyagi, Nagla Akhey, Bodla-Bichpuri Road, Agra
6. M/s Nobal Export India, Nagla Akhey, Bodla-Bichpuri Road, Agra
7. M/s Rudra Handicraft, Gunjan Vihar, Nagla Akhey, Bodla-Bichpuri Road, Agra
8. M/s Pawan Chowdhary Stone, Gunjan Vihar, Nagla Akhey, Bodla-Bichpuri Road, Agra
9. M/s Geetam Singh Stone Cutting, Nagla Akhey, Bodla-Bichpuri Road, Agra
10. M/s Satendra (Earlier operated by Dharmveer), Nagla Akhey, Bodla-Bichpuri Road, Agra
11. M/s Satyaveer Stone, Nagla Akhey, Bodla-Bichpuri Road, Agra

Again Hon'ble National Green Tribunal heard the matter on dt.14.03.2024 and was pleased to pass the directions. The relevant part of the order is as below:-

"1. Mr. Ajai Kumar Singh, ADM (E), Mr. Probhat Kumar Paul, Town Planner, ADA and Dr. Vishwanath Sharma, Regional Officer (UPPCB), Agra have appeared before this Tribunal Through VC and they seek time to file Action Taken Reports.

2. Action Taken Reports be filed by Agra Development Authority and District Magistrate, Agra and UPPCB within one month by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

3. List for further consideration on 18.04.2024."

As per the direction of the Hon'ble court joint inspection of the said area has been done on dt.02.04.2024, during inspection it was found that 11 industries which were closed earlier are permanently closed and 02 other units were found operational.

1. M/s Om Agarwal Stone cutting, Gunjan Vihar, Nagla Akhey, Bodla-Bichpuri Rd, Agra
2. M/s Ajay Sharma Stone cutting, Tulsi Puram, Nagla Akhey, Bodla-Bichpuri Rd, Agra

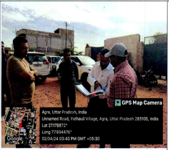

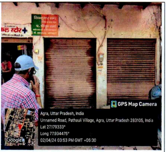

In continuation of the above inspection letter has been written to Secretary, Agra Development Authority and Chief Engineer, Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Limited (DVVNL), Agra regarding sealing and electricity disconnection of the above 02 units operational in the residential area. **(Annexure-1)**

Notice has been issued to both the units on dated 05.04.2024 by Agra Development Authority under section 6 of Uttar Pradesh Town Planning and Development Act, 1973 regarding stone cutting work in the pre-built residential building. **(Annexure-2)**

Executive Engineer, DVVNL informed vide letter dt.12.04.2024 that electricity disconnection of both the units was done on dt.10.04.2024. **(Annexure-3)**

- Presently the Marble Stone Cutting work is not being done in the above mentioned 02 units and premises sealing process is under progress by Agra Development Authority.

Suggestions-

- As per the Chairman, U.P Power Corporation Limited, Lucknow letter dt. 02.11.2020 **(Annexure-4)**, electricity connection should be provided only to the industry/unit having No Objection Certificate/ Consent to Establish from State Pollution Control Board only.
- Electricity connection (LMV II/VI) should be provided to the industry/unit only in the confirming zone as the per the Master Plan of concerned Development Authority.

12/04/24	12/4/24	12/4/24
Regional Officer, U.P Pollution Control Board, Agra	Chief Town Planner Agra Development Authority, Agra	ADM(E) Agra

A-1

68

e-mail; roagra@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भवन सं० 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक – 16 /ओजी–L-233/2024 दिनांक–03/04/2024

सेवा में,

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रकरण

महत्वपूर्ण

1. सचिव,
   आगरा विकास प्राधिकरण,
   आगरा।
2. मुख्य अभियन्ता,
   दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०,
   आगरा।

विषयः–आवासीय क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित स्टोन/सेलम इकाईयों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरेक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या–386/2022 (अजय तिवारी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य) में दिनांक 14.03.2024 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये है।

1. Mr. Ajai Kumar Singh, ADM (E), Mr. Probhat Kumar Paul, Town Planner, ADA and Dr. Vishwanath Sharma, Regional Officer (UPPCB), Agra have appeared before this Tribunal Through VC and they seek time to file Action Taken Reports.

2. Action Taken Reports be filed by Agra Development Authority and District Magistrate, Agra and UPPCB within one month by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

तत्क्रम में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), आगरा क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, आगरा एवं अवर अभियन्ता, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 02.04.2024 को नगला अक्खे क्षेत्र बोदला बिचपुरी रोड, आगरा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय निम्नलिखित इकाईयाँ संचालित पायी गयी।

1. मै० ओम अग्रवाल स्टोन कटिंग, गुन्जन विहार, नगला अक्खे, बोदला विचपुरी रोड, आगरा।
2. मै० अजय शर्मा स्टोन कटिंग, तुलसी पुरम, नगला अक्खे, बोदला विचपुरी रोड, आगरा।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि आवासीय क्षेत्र में उपरोक्त चिन्हित अवैध इकाईयों के विरूद्ध प्राधिकरण स्तर से सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सीलिंग की कार्यवाही एवं विद्युत विच्छेदन किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में समयबद्ध ऐक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।

अवगत कराना है कि प्रकरण में अगली तिथि 18.04.2024 नियत है।

भवदीय,

(डा० विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
2. उपाध्यक्ष महोदया, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

03/4/24

क्षेत्रीय अधिकारी

A-2

न्यायालय सक्षम प्राधिकारी

69

आगरा विकास प्राधिकरण,
जयपुर हाउस, आगरा उत्तर प्रदेश।

कारण बताओ नोटिस

प्रेषक-

सक्षम प्राधिकारी
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

सेवा में,

श्री ओम अग्रवाल

गुंजन विहार, नगला अक्खे, बोदला–बिचपुरी रोड, आगरा।

पत्र संख्या 98-फे/NES/VC/02/24-25 दिनांकः- 05/4/24

विषय - उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 16 के अधीन नोटिस।

आप भूखण्ड/भवन सं० गुंजन विहार, नगला अक्खे, बोदला–बिचपुरी रोड, आगरा। में/पर स्थित निम्नलिखित भू-प्रयोग महायोजना प्रयोजन/क्षेत्रीय विकास प्रयोजन का उल्लंघन कर रहे हैं।

प्रयोज का प्रकार- स्थल पर पूर्व निर्मित आवासीय भवन में स्टोन कटिंग का कार्य कर व्यवसायिक गतिविधि संचालित की जा रही है।

यह उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 16 के अधीन इस प्राधिकरण की महायोजना प्रयोजन/क्षेत्रीय विकास प्रायोजन का उल्लंघन है। आप या तो स्वयं या उचित रूप से प्राधिकृत एजेन्ट द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में 9/04/24............. को .....12:00............ बजे आकर कारण बतायें कि उपर्युक्त अनाधिकृत भू-उपयोग के विरूद्ध क्यों न धारा-26 (2) के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

सक्षम प्राधिकारी
आगरा विकास प्राधिकरण आगरा

सक्षम प्राधिकारी
आगरा विकास प्राधिकरण

नोट :-

1. आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 26 (2) की ओर दिलाया जाता है जिसके अधीन आप जुर्माने के दण्ड के पात्र हैं। जो रु० 25,000/- (पचीस हजार) तक बढ़ सकता है और जुर्म के जारी रहने पर आगे रु. 1250/- (एक हजार दो सौ पचास) प्रतिदिन, जिन दिनों में ऐसा जुर्म पहली बार जुर्म शुरू करने की सजा के बाद चालू रहता है, के हिसाब से बढ़ सकता है।
2. आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 26 (3) की ओर दिलाया जाता है। जिसके अधीन यदि आप एक ऐसे व्यक्ति को, जो अधिनियम की धारा 25 के अधीन किसी भूमि के या भवन के अन्दर या ऊपर प्रवेश पाने को प्राधिकृत है, रोकते है और ऐसे प्रवेश के बाद उसे व्यवहार करते हैं, तो आप छः महीने तक की कैद की सजा या जुर्माना, जो एक हजार रुपये तक बढ़ सकता है या दोनों के भागी होंगे।

06/04/2024

न्यायालय सक्षम प्राधिकारी
आगरा विकास प्राधिकरण,
जयपुर हाउस, आगरा उत्तर प्रदेश।

कारण बताओ नोटिस

प्रेषक-

सक्षम प्राधिकारी
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

सेवा में,

श्री अजय शर्मा

तुलसीपुरम, नगला अक्खे, बोदला–बिचपुरी रोड, आगरा।

पत्र संख्या 850 प्र०/NES/V.C/01/24-25 दिनांकः-5/04/24

विषय - उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 16 के अधीन नोटिस।

आप भूखण्ड/भवन सं० तुलसीपुरम, नगला अक्खे, बोदला–बिचपुरी रोड, आगरा। में/पर स्थित निम्नलिखित भू-प्रयोग महायोजना प्रयोजन/क्षेत्रीय विकास प्रयोजन का उल्लंघन कर रहे हैं।

प्रयोज का प्रकार- **स्थल पर पूर्व निर्मित आवासीय भवन में स्टोन कटिंग का कार्य कर व्यवसायिक गतिविधि संचालित की जा रही है।**

यह उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 16 के अधीन इस प्राधिकरण की महायोजना प्रयोजन/क्षेत्रीय विकास प्रयोजन का उल्लंघन है। आप या तो स्वयं या उचित रूप से प्राधिकृत एजेन्ट द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में 09/04/2024....... को ...12:00............ बजे आकर कारण बतायें कि उपर्युक्त अनाधिकृत भू-उपयोग के विरूद्ध क्यों न धारा-26 (2) के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

सक्षम प्राधिकारी
आगरा विकास प्राधिकरण

नोट :-

1. आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 26 (2) की ओर दिलाया जाता है जिसके अधीन आप जुर्माने के दण्ड के पात्र हैं। जो रु० 25,000/- (पचीस हजार) तक बढ़ सकता है और जुर्म के जारी रहने पर आगे रु. 1250/- (एक हजार दो सौ पचास) प्रतिदिन, जिन दिनों में ऐसा जुर्म पहली बार जुर्म शुरू करने की सजा के बाद चालू रहता है, के हिसाब से बढ़ सकता है।
2. आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 26 (3) की ओर दिलाया जाता है। जिसके अधीन यदि आप एक ऐसे व्यक्ति को, जो अधिनियम की धारा 25 के अधीन किसी भूमि के या भवन के अन्दर या ऊपर प्रवेश पाने को प्राधिकृत है, रोकते है और ऐसे प्रवेश के बाद उसे व्यवहार करते हैं, तो आप छः महीने तक की कैद की सजा या जुर्माना, जो एक हजार रुपये तक बढ़ सकता है या दोनों के भागी होंगे।

e-mail; roagra@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

पत्रांक – 16 /ओजी–L-233/2024 दिनांक–03/04/2024

सेवा में,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रकरण
महत्वपूर्ण

1. सचिव,
   आगरा विकास प्राधिकरण,
   आगरा।
2. मुख्य अभियन्ता,
   दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
   आगरा।

विषयः–आवासीय क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित स्टोन/सेलम इकाईयों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरेक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–386/2022 (अजय तिवारी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य) में दिनांक 14.03.2024 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये है।

1. Mr. Ajai Kumar Singh, ADM (E), Mr. Probhat Kumar Paul, Town Planner, ADA and Dr. Vishwanath Sharma, Regional Officer (UPPCB), Agra have appeared before this Tribunal Through VC and they seek time to file Action Taken Reports.

2. Action Taken Reports be filed by Agra Development Authority and District Magistrate, Agra and UPPCB within one month by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

तत्क्रम में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), आगरा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, आगरा एवं अवर अभियन्ता, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 02.04.2024 को नगला अक्खे क्षेत्र बोदला बिचपुरी रोड, आगरा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय निम्नलिखित इकाईयाँ संचालित पायी गयी।

1. मै0 ओम अग्रवाल स्टोन कटिंग, गुन्जन विहार, नगला अक्खे, बोदला बिचपुरी रोड, आगरा।
2. मै0 अजय शर्मा स्टोन कटिंग, तुलसी पुरम, नगला अक्खे, बोदला बिचपुरी रोड, आगरा।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि आवासीय क्षेत्र में उपरोक्त चिन्हित अवैध इकाईयों के विरूद्ध प्राधिकरण स्तर से सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सीलिंग की कार्यवाही एवं विद्युत विच्छेदन किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में समयबद्ध ऐक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।

अवगत कराना है कि प्रकरण में अगली तिथि 18.04.2024 नियत है।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(डा0 विश्वनाथ शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
2. उपाध्यक्ष महोदया, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

(हस्ताक्षर) 03/4/24
क्षेत्रीय अधिकारी

पत्रांक 2851 /वि0वि0ख0(द्वि0)/आ0/ दिनांक 12/4/24

प्रतिलिपिः–मुख्य अभियन्ता, (वि0) विद्युत भवन गैलाना रोड़, आगरा को इस अनरोध के साथ प्रेषित है कि पत्र में दी गई फर्मों का संयोजन विच्छेदन कर दिया गया है विच्छेदन स्लिप इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको प्रेषित कि जा रही है।

संलग्नः–यथोपरि।

(हस्ताक्षर)
अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड–द्वितीय
कमला नगर, आगरा

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

46951

आपूर्ति के अस्थाई विच्छेदन के पश्चात् उपभोक्ता को सूचना

श्री Ajay Sharma (उपभोक्ता का नाम) दिनांक 10-04-202[illegible]

पूरा पता [illegible] अछनेरा समय 15:10

[illegible] आगरा

संदर्भ : संयोजन सं० 3617537000 उपभोक्ता श्रेणी.................. संविदाकृत भार..................

मीटर सं० 14694384 मीटर रीडिंग 5555 KWH. 3.17 KW.

आपको यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कारणों से आपकी उपरोक्त संदर्भित आपूर्ति अस्थाई रू से दिनांक 10-04-2024 से विच्छेदित कर दी गई है।

1. विच्छेदन का कारण : [illegible] 2703 दिनांक 05-04-2024 [illegible]

2. विच्छेदन का प्रकार : [illegible] के विरुद्ध कार्यवाही

आपसे अनुरोध किया जाता है कि विच्छेदन किये जाने के कारण को दूर करें और इस कार्यालय को यथ सूचित करें। आपसे अनुरोध है कि विच्छेदन और पुनः कनेक्शन किये जाने के शुल्क हेतु कुल.................. रुपये की धनराशि का भुगतान करें।

यदि विच्छेदन के कारण को इस कार्यालय की संतुष्टि के अनुसार दूर नहीं किया जायेगा तो आपकी स्थायी रूप से अनुच्छेद 4.37 के अनुसार विच्छेदित कर दी जावेगी। विलम्ब भुगतान अधिभार अनुच्छेद 6.13 के उद्गृहीत किया जायेगा।

उपरोक्त विच्छेदन का कारण दूर किये बिना यदि आपके संयोजन की आपूर्ति चालू र तो आपके विरुद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 व 138 बी में र प्रावधान के अनुसार प्राथमिकी थाने में दर्ज करा दी जावेगी।

धन्यवाद।

उपभोक्ता के हस्ताक्षर

अनुज्ञप्तिधारी के प्र
नाम, हस्ताक्षर

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

46952

आपूर्ति के अस्थाई विच्छेदन के पश्चात् उपभोक्ता को सूचना

श्री Om Agarwal. (उपभोक्ता का नाम) दिनांक 10-04-2024

पूरा पता [illegible] Vihar [illegible] Buildg, Agra समय 15:20

संदर्भ : संयोजन सं० 6534971427 उपभोक्ता श्रेणी............ संविदाकृत भार............

मीटर सं० TK 6653 13 BL 274 मीटर रीडिंग 12540 kWh, 3. [illegible] kW.

आपको यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कारणों से आपकी उपरोक्त संदर्भित आपूर्ति अस्थाई रूप से दिनांक............से विच्छेदित कर दी गई है।

1. विच्छेदन का कारण : [illegible] - 2704, [illegible] 05-04-2024, [illegible] stone | [illegible]

2. विच्छेदन का प्रकार : [illegible]

आपसे अनुरोध किया जाता है कि विच्छेदन किये जाने के कारण को दूर करें और इस कार्यालय को यथाशीघ्र सूचित करें। आपसे अनुरोध है कि विच्छेदन और पुनः कनेक्शन किये जाने के शुल्क हेतु कुल............रुपये की धनराशि का भुगतान करें।

यदि विच्छेदन के कारण को इस कार्यालय की संतुष्टि के अनुसार दूर नहीं किया जायेगा तो आपकी आपूर्ति स्थायी रूप से अनुच्छेद 4.37 के अनुसार विच्छेदित कर दी जायेगी। विलम्ब भुगतान अधिभार अनुच्छेद 6.13 के अनुसार उद्गृहीत किया जायेगा।

उपरोक्त विच्छेदन का कारण दूर किये बिना यदि आपके संयोजन की आपूर्ति चालू पाई गयी तो आपके विरुद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 व 138 की में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार प्राथमिकी थाने में दर्ज करा दी जावेगी।

धन्यवाद।

उपभोक्ता के हस्ताक्षर

अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि का
नाम, हस्ताक्षर (मोहर)

A-4

74

अरविन्द कुमार
आई.ए.एस.
अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग,
लखनऊ–226001
ई मेल – chairmanuppcl@gmail.com
Phone : 0522-2287827 (O)

पत्रांक 1017/मु0अभि0(मा0एवंज़0क0)/राजस्व प्रथम/नि0नि0

दिनांक 02.11.2020

प्रबन्ध निदेशक
विद्युत वितरण निगम लि0,
दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल
आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ

प्रबन्ध निदेशक
केस्को लि0
कानपुर।

विषय:– निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त होने वाले रेड एवं ऑरेंज कैटेगरी के उद्योगों को विद्युत संयोजन निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश।

महोदया/महोदय,

आप अवगत है कि निवेश मित्र पोर्टल पर औद्योगिक इकाइयों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं एवं आवेदन सम्बन्धी प्रपत्र भी ऑनलाइन ही अपलोड किए जाते है। वर्तमान में विद्युत आपूर्ति संहिता/डी0आर0ए0पी0 दिशा–निर्देशों के अनुसार विद्युत संयोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ पोर्टल पर मात्र 03 प्रपत्रों को अपलोड किए जाने का प्राविधान है, जो कि निम्नवत हैं –

1. परिसरों के विधिपूर्ण अधिभोग के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य
2. पी0 एण्ड एल0 फार्म
3. आवेदक का पहचान पत्र

उक्त के क्रम में यह अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 09.07.2020 को सम्पन्न बैठक में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न वादों के अन्तर्गत पारित आदेशों के अनुक्रम में निम्न निर्णय लिया गया है –

"प्रदेश में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बिना स्थापनार्थ अनापत्ति प्राप्त किए रेड एवं ऑरेन्ज कैटेगरी के प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों को विद्युत संयोजन न दिया जाए। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त होने के उपरान्त विद्युत विभाग द्वारा रेड एवं ऑरेन्ज कैटेगरी के उद्योगों को अस्थायी विद्युत संयोजन तत्पश्चात उद्योगों द्वारा संचालनार्थ सहमति प्राप्त होने के उपरान्त उद्योगों को स्थायी विद्युत संयोजन प्रदान किया जाए।........................"

उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न निर्देश निर्गत किए जा रहे है –

1. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न उद्योगों को प्रदूषण इण्डेक्स के आधार पर रेड, ऑरेंज, ग्रीन एवं व्हाइट कैटेगरी में विभाजित किया गया है। वर्तमान में **कुल 89 इण्डस्ट्री सेक्टर–टाइप को रेड कैटेगरी** के अन्तर्गत तथा **104 इण्डस्ट्री सेक्टर–टाइप को ऑरेंज कैटेगरी** के अन्तर्गत निर्धारित किया गया है, जिसकी सूची उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक जी33335/सी–6/सा–52/ओ.ए.एन.–116/2014/2020 दिनांक 29.07.2020 द्वारा उपलब्ध कराई गई है एवं आपके अवलोकनार्थ इस पत्र के साथ संलग्न है।
2. रेड एवं ऑरेंज इण्डस्ट्री सेक्टर–टाइप हेतु प्राप्त **अस्थाई विद्युत संयोजन** के आवेदनों पर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा **उद्योग की स्थापनार्थ सहमति प्रपत्र** के बिना अस्थाई संयोजन निर्गत न किया जाए।
3. रेड एवं ऑरेंज इण्डस्ट्री सेक्टर–टाइप हेतु प्राप्त **स्थाई विद्युत संयोजन** के आवेदनों पर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा **उद्योग की संचालनार्थ सहमति प्रपत्र** के बिना स्थाई संयोजन निर्गत न किया जाए।
4. रेड एवं ऑरेंज इण्डस्ट्री सेक्टर–टाइप के लिए उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग की स्थापनार्थ सहमति प्रपत्र तथा संचालनार्थ सहमति प्रपत्र की आवश्यकता वर्तमान में निर्धारित उपरोक्त वर्णित तीन प्रपत्रों के अतिरिक्त होगी।
5. **इस सम्बन्ध में यह वांछित है कि अस्थाई/स्थाई संयोजन निर्गत करने वाले प्रत्येक अधिकारी उपरोक्त श्रेणी वर्गीकरण तथा इसकी सूची से भिज्ञ होते हुए संयोजन सम्बन्धी कार्यवाही करें।**

6. उ0प्र0पा0का0लि0 के आई0टी0 विंग द्वारा इस निर्णय को पोर्टल पर इण्टीग्रेट करने के लिए प्रॉसेस निर्धारित किया जाएगा तथा उद्योग बन्धु से समन्वय करते हुए इसे क्रियान्वित कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

अतः उपरोक्त सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि उ0प्र0 शासन के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों/कार्मिकों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
अध्यक्ष

पत्रांक /मु0अभि0(वा0एवक्रृ0लै0)/राजस्व प्रथम/नि0भि0 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विभाग, उ0प्र0 शासन
2. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन
3. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ
4. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ
5. अधीक्षण अभियन्ता, आई0टी0 विंग, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ

(अरविन्द कुमार)
अध्यक्ष